पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर मण्डल

संचालन नियम इज्ज्त/12

कमालगंज स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन)

जारी तिथि 2.9.2011
लागू तिथि 30.10.2011
पुनरीक्षण तिथि Sept-16

(बी श्रेणी, इकहरी लाइन, पैनल अन्तर्पाशित, मानक- III,
बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी :1.स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/12 दिनॉक 8.11.2005 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2.इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नही करते।

1. **स्टेशन संचालन नियम आरेख (रुल डायग्राम) :**

सी०एस०टी०ई०/कान/गोरखपुर की एस०आई०पी० सं० NER/IZN/KLJ/SIP/2005/VER-ZERO Alt."C" पर आधारित इस स्टेशन का नियमारेख संख्या 51 दिनॉक 22.9.2007 संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है

2. **स्टेशन का विवरण** :

2.1. **सामान्य (स्थिति) :**

कमालगंज स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल - कासगंज खण्ड पर इकहरी बड़ी लाइन पर 'बी' श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल से 121.52 किमी० तथा कासगंज से 125.54 किमी० की दूरी पर है।

2.2. **दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी एवं बाहरी साइडिंगें :**

फतेहगढ़ (पश्चिम दिशा में) : 12.87 किमी० की दूरी पर स्थित है.
खुदागंज (पूर्व दिशा में) : 8.05 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(i) **आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :**

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(ii) **बाहरी साइडिंगें** : कोई नहीं

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(iii) **<u>दोनो ओर के नान-ब्लाक स्टेशन एवं उनकी दूरी</u>** :

याकूतगंज हाल्ट- कमालगंज-फतेहगढ़ के मध्य इस स्टेशन से 6.98 किमी०की दूरी पर स्थित है।
सिंघीरामपुर हाल्ट- कमालगंज-खुदागंज के मध्य इस स्टेशन से 3.62 किमी०की दूरी पर स्थित है।

2.3. **<u>स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड</u>** :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहॉ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहॉ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
कमालगंज-फतेहगढ़	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 (कमालगंज)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (फतेहगढ़)
कमालगंज - खुदागंज	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-11 (कमालगंज)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (खुदागंज)

2.4 **<u>ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो</u>** : कोई नहीं

2.5 **<u>अभिन्यास (ले-आउट)</u>** :
इस स्टेशन का अभिन्यास 3 लाइनों का है। लाइन सं० 1, 2 एवं 3 परिचालित लाइनें हैं। ।

2.5.1. **<u>परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)</u>** :
(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या-1	736 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन संख्या-2	705 मीटर	मेन लाइन
लाइन संख्या-3	707 मीटर	लूप लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या- 2 सीधी लाइन है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियॉ किसी भी परिचालित लाइन पर/से किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है ।

2.5.2 **<u>अपरिचालित लाइने एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)</u>** :
इस स्टेशन पर कोई अपरिचालित लाइन नहीं है।

2.5.3 **<u>अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं</u>** : कुछ नही

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2.6. **समपार फाटक :**

i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

गेट सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन हेतु उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार सुविधा	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
132-C	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल S-11 तथा अप होम सिगनल S-12 के मध्य	सड़क याता-यात हेतु खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलिफोन	नहीं
133-C	अप प्रस्थान सिग० S-8 तथा कॉटा संख्या 202B के मध्य	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलिफोन	नहीं
134-C	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० S-2 तथा डा० होम सिगनल S-1 के मध्य	सड़क याता-यात हेतु खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलिफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
130-C	कमालगंज-खुदागंज के मध्य किमी० 117/3-4	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
131-C	कमालगंज-खुदागंज के मध्य किमी० 118/6-7	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नही	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
136-C	कमालगंज-फतेगगढ़ के मध्य किमी० 122/0-1	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
137-C	कमालगंज-फतेहगढ़ के मध्य किमी० 122/7-8	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

138-C	कमालगंज-फतेगगढ़ के मध्य किमी० 122/14-15	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
139-C	कमालगंज-फतेहगढ़ के मध्य किमी० 124/1-2	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
140-C	कमालगंज-फतेहगढ़ के मध्य किमी० 126/4-5	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत गेटमैन	नही	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क' से 'क-IX' देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों खुदागंज तथा फतेहगढ़ से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त टोकनलैस ब्लाक यन्त्र एक्सिल काउन्टर के साथ **खुदागंज** तथा **फतेहगढ़** स्टेशन के साथ अलग-अलग सम्बद्ध।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.07, 14.08(ख) 14.10, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है ।

(सहा० नियम 14.02 (v) एवं साधा० तथा सहायक नियम 14.04 एवं 14.12(1) देखें)

(एम०पी०सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

4. **संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :**

विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार :

कमालगंज स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक- III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों से सज्जित है। काँटे और सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे पैनल से किया जाता है

प्रदत्त सिगनल :

(क) **अप आगमन सिगनल (खुदागंज से) :**

अप डिस्टेन्ट सिगनल सं० ए 12 अप होम सिगनल संख्या एस 12 के संकेतों पर आधारित।

जं० इंडिकेटर सहित अप होम सिगनल संख्या एस 12 के संकेत निम्न प्रकार है:-

(i) अप होम सिगनल संख्या एस-12 दॉयी ओर जं० इंडिकेटर सहित लाइन संख्या 1 के लिए

(ii) अप होम सिगनल सं० एस-12 मेन लाइन सं० 2 के लिए जंक्शन इंडीकेटर रहित

(iii) अप होम सिगनल सं० एस-12 बॉयी ओर जं० इंडिकेटर सहित लाइन सं० 3 के लिए

(ख) **अप प्रस्थान सिगनल (फतेहगढ़ को)** :

(i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 4 मेन लाइन संख्या 2 के लिए

(ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 6 लूप ाइन संख्या 1 के लिए

(iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 8 लूप लाइन संख्या 3 के लिए

(iv) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 फतेहगढ़ स्टेशन छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति द्वारा नियन्त्रित होता है।

(ग) **डाउन आगमन सिगनल (फतेहगढ़ से)** :

डाउन डिस्टेन्ट सिगनल ए-1- डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 के सकेंत पर आधारित।

जं० इंडिकेटर सहित डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 के संकेत निम्न प्रकार है :-

(i) डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 बांयी ओर जं० इंडीकेटर सहित लाइन संख्या 1 के लिए

(ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 मेन लाइन संख्या 2 के लिए जं० इंडीकेटर रहित।

(iii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 दांयी ओर जं० इंडीकेटर सहित लाइन संख्या 3 के लिए

(घ) **डाउन प्रस्थान सिगनल (खुदागंज को) :**

(i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 5 मेन लाइन संख्या 2 के लिए

(ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 7 लूप लाइन संख्या 1 के लिए

(iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 9 लूप लाइन संख्या 3 के लिए

(iv) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 खुदागंज स्टेशन छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित होता है ।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

(ङ) **अतिरिक्त सिगनल :**

(i) **कालिंग आन सिगनल :**

कालिंग आन सिगनल संख्या	**विवरण**
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी 10	यह अप होम सिगनल सं० एस 12 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा खुदागंज की ओर से लाइन सं० 1 या 2 या 3 में आने के लिए है।
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी 3	यह डाउन होम सिगनल सं० एस 1 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है तथा फतेहगढ़ की ओर से लाइन सं० 1 या 2 या 3 में आने के लिए है।

(ii) **शंट सिगनल :**

(क) आश्रित शंट सिगनल		
शंट सिग० सं.	किस सिगनल के नीचे स्थित है	**विवरण**
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4	लाइन सं० 2 से फतेहगढ़ छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5	लाइन सं० 2 से खुदागंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6	लाइन सं० 1 से फतेहगढ़ छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7	लाइन सं० 1 से खुदागंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये
एस एच 28	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 8	लाइन सं० 3 से फतेहगढ़ छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 29	डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 9	लाइन सं० 3 से खुदागंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये ।

(ख) अनाश्रित शंट सिगनल

शंट सिगनल संख्या	**विवरण**
एस एच 31	फतेहगढ़ छोर से लाइन सं० 1, 2, तथा 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु ।
एस एच 32	खुदागंज छोर में लाइन सं० 1, 2 तथा 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु ।

(एम०पी०सिंह)   (जवाहर राम)

पुनरावर्तक (रिपीटर) :- कोई नहीं

4.1.1(क) **<u>स्टेशन मास्टर पैनल</u> :-**

सभी काँटें एवं सिगनल एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते है जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते है । यह स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्थित है। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं सिगनलों सहित स्टेशन मास्टर के नियंत्रण पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं सिगनलों के प्रचालन हेतु पुश बटन प्रदत्त है।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।

(ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पँक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये है। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नही करेगा। एक पँक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ अपसारी मार्ग (डाइवर्जिंग रुट) इंगित करेगीं।

(घ) स्टेशन मास्टर, कॉटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज़ लाक को पाशित करती है, के द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह लाक स्थिति में होता है, तब विद्युतीय रूप से कॉटों एवं सिगनलो पर नियन्त्रण वियोजित कर देता हैं। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी० जी० एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलो को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।

(ड़) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के 'हरे' आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान सिगनल के 'पीले' आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है।

(च) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

4.1.2 **<u>काँटा पुश बटन</u> :-**

पैनल के दोनों सिरों पर कॉटों के संचालन के लिये प्रत्येक कॉटें के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। कॉटे को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस कॉटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू० एन० (NWWN) पुश बटन तथा रिवर्स स्थिति में करने के लिये कॉटे के बटन के साथ आर०डब्लू० डब्लू०एन० (RWWN) पुश बटन दबाना होगा। कॉटों का अलग-अलग संचालन गाड़ी को कालिंग आन सिगनल पर रिसीव करने के समय किया जायेगा।

4.1.3 **<u>ट्रैक सर्किटिंग</u>** :-

परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे 5 रेल की लम्बाई तक दोनों ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (आक्यूपाई) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रुप में दिया हुआ है।

4.1.4 **<u>पुश बटन रिमाइन्डर कालर</u> :-**

पुश बटन रिमाइन्डर कालर पैनल के एक स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल या काँटा या रूट बटन के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रचलन को रोकना हो तो इन कालरों को पुश बटनों के ऊपर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से पुश बटनों को दबाया नहीं जा सकेगा।

(एम०पी०सिंह)   (जवाहर राम)

4.2 **स्थाई रुप से ताला बन्द कॉंटें:** कोई नहीं।

4.3 **मेन लाइन का पृथक्करण (आइसोलेशन) :**

(i) क्रासओवर 201ए-201बी एंव 202ए-202बी नार्मल स्थिति में मेन लाइन को फतेहगढ़ छोर पर आइसोलेट करते हैं।

(ii) क्रासओवर 203ए-203बी एवं 204ए-204बी नार्मल स्थिति में मेन लाइन को खुदागंज छोर पर आइसोलेट करते हैं।

4.4 **विद्युत चालित कॉंटा मशीन क्रैन्क हैण्डिल** :

(क) परिचालित लाइनों पर प्रदत्त कॉंटा संख्या-201, 202, 203, 204, मोटर चालित कॉंटें है तथा प्रत्येक कॉंटें पर विद्युत कॉंटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये कॉंटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ख' में देखें। मोटर संचालित कांटों की विफलता के समय कांटों को क्रैन्क हैन्डिल से सैट किया जायेगा। क्रैन्क हैन्डिल एवं उनके द्वारा संचालित कॉंटें निम्न है :-

क्रम संख्या	क्रैन्क हैन्डिल चाबी संख्या	संचालित किये जाने वाले कॉंटें
1	सी०एच०-1	201ए, 201बी, (FGR side)
2	सी०एच०-2	202ए, 202बी, (FGR side)
3	सी०एच०-3	203ए, 203बी, (KDJ side)
4	सी०एच०-4	204ए, 204बी, (KDJ side)

कार्यरत कॉंटेवाला द्वारा कॉंटों को सेट, क्लैम्प एवं पैडलाक किया जायेगा। इनकी सही सेटिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है। कार्यरत स्टेशन मास्टर इसके बाद ही टी-369(3b) चालक के पास भेजे।

(ख) ऐसी परिस्थिति में स्टेशन नान-इन्टरलाक समझा जायेगा । प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैन्डिल विद्युत कॉंटा मशीन द्वारा परिचालित कॉंटों के हस्थ प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारुप में प्रविष्टि अवश्य अँकित की जानी चाहिये।

क्रम सं०	क्रेंक हैन्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रेंक हैन्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रेंक हैन्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता/ परीक्षण	क्रैंक हैन्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रेंक हैन्डिल चाबी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(एम०पी०सिंह)   (जवाहर राम)

4.5 **वीडर काउन्टर :-**

पैनल पर वीडर काउन्टर का प्रावधान किया गया हैं जो सम्बन्धित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. आपात्कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (ई०यू०यू०वाई०एन०)(EUUYN)।
2. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (ई०यू०वाई०एन०)(EUYN)।
3. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर ।
4. सिगनल को आफ से आन करने के लिये वीडर गणक (ई०जी०जी०एन०) (EGGN)।
5. क्रैंक हैण्डिल वीडर काउन्टर
6. टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र वीडर काउन्टर (दोनो दिशाओं के लिये अलग-अलग)
7. एक्सिल काउन्टर वीडर काउन्टर (दोनो दिशाओं के लिये अलग-अलग)

जब किसी स्विच को जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च डिजिटल संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर उभरती हैं। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या को स्टेशन डायरी तथा वीडर काउन्टर रजिस्टर में अद्यतन प्रविष्टि की जाय।

4.6 **रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य विधि** :-

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित हैं। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस एण्ड टी) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसे खोलने के के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस एण्ड टी कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर द्वारा चाबी सौंपी जानी चाहिए।

4.7 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)** :-

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग , कॉटों का संचालन एवं सिगनलों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आई०पी०एस० (इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई) का प्रावधान किया गया है। आई०पी०एस० का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

4.8 **पर्याप्त दूरी** :-

अनुमुख कॉंटों से आगे पर्याप्त दूरी सामान्य नियम 3.40 (i) (बी) के अनुसार गाड़ी के रूकने के स्थान से ली गयी है ।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

5. **दूरसंचार :** स्टेशन मास्टर के कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त हैं :-

(i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बध्द कन्ट्रोल टेलीफोन

(ii) फतेहगढ़ स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बध्द साइड टेलीफोन

(iii) खुदागंज स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बध्द साइड टेलीफोन

(iv) बी०एस०एन०एल० टेलीफोन

(v) इंजी०गेट सं० 130/C, 131/C (KLJ - KDJ) तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन

(vi) ट्रैफिक गेट सं० 132/C, 133/C , 134/C तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन

(vii) इंजी०गेट सं० 136/C, 137/C, 138/C, 139/C, 140/C (FGR - KLJ) तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन

(viii) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था विफल होने पर गाड़ी संचालन हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 10A में उल्लिखित नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।)

6. **गाड़ी संचंलन :**

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशो के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेगें।

(क) **गाड़ियों का आगमन :**

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 अथवा 3 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

(i) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किट के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नही जल रहा है।

(ii) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित है।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनाये।

(घ) सुनिश्चित करें कि अप गाडी लाइन सं 1, 2 अथवा 3 पर लेते समय गेट सं० 132/सी एवं 133/सी को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियंत्रण बटन 553 एवं 552 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है । इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन स्टेशन पैनल पर दिखाई देगा।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

इसी प्रकार डाउन गाडी लाइन सं 1, 2 अथवा 3 पर लेते समय गेट सं० 134/सी एवं 133/सी को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें। गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551 एवं 552 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन स्टेशन पैनल पर दिखाई देगा।

(ड़) आनेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रुट बटन एक साथ दबायें।

(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगी।

(ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सूक्ष्म सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट होने की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आफ आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।

(झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो गये हैं।

(ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे - वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं। और जैसे - जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।

(ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(एक्सिल काउन्टर की विफलता में की जाने वाली कार्यवाही हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित विवरण देखें। ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटों को सेट करने के लिये सा० एवं स० नियम 5.19 देखें)

6.1 **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :**

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, गेटमैन एवं कॉटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 **प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी :**

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	03	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

<u>सॉध्य/रात्रि पाली</u> :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	03	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 **<u>लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्यित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्रः</u>**

कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पैनल पर प्रदत्त ट्रैक सर्किटों के संकेतों कें माध्यम से गाड़ी के आगमन-प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। ट्रैक सर्किट की विफलता तथा बल्बों के फ्यूज़ होने की स्थिति में लाइनो का क्लीयरेंस ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन के व्यक्तिगत भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा।

(साधारण नियम 3.38(ग), 3.39(i)(ii),3.40(3), 8.03 देखें)

6.1.3 **<u>आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन</u>** :

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचलन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रुप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचलन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारुप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रुप से देगें ।

(सहायक नियम 5.01(19) और परिचालन नियमावली के अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)

6.2. **<u>लाइन क्लीयर देने की शर्तें</u>** :

लाइन तब तक साफ नही समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नही दिया जायेगा जब तक कि :

(क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।

(ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल ”आन” स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।

(ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।

(घ) अप गाडियों के मामले में गेट सं० 130/सी, 131/सी, पर कार्यरत गेटमैन को तथा डाउन गाडियों के मामले में समपार फाटक सं० 136/सी, 137/सी, 138/सी 139/सी एवं 140/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क)(ख)(ग) (ii) तथा सहा० नि० 8.03(i), (ii),(iii),(iv) देखें)

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्ते :-

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरूध्द कॉंटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना
जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरूध्द हो, तो दोनों छोरों के कॉंटें अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन
जब स्टेशन पर किसी अवरूध्द लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-
इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-
इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-
इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना :- कोई नहीं।

6.3 **आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्ते :**
आगमन सिगनलो को तब तक 'आफ' नही किया जायेगा जब तक कि :-

(1) सभी सम्मुख तथा अनुमुख कॉंटे जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही ढंग से सेट एवं लाक न कर दिये गये हों तथा स्टेशन पैनल पर संकेत न दिखायी दें ।

(2) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित न हो तथा इसका दृाष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध न हो गया हो।
लाइनों का साफ होना निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जाय :-

(क) अप गाड़ी के लिए लाइन सं० 1 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या लाइन सं० 3 पर आगमन के लिये सैण्ड हम्प तक या मेन लाइन लगाकर अथवा लाइन सं० 2 पर आगमन हेतु अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।

(ख) डाउन गाड़ी के लिए लाइन सं० 1 या 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या मेन लाइन लगाकर अथवा लाइन सं० 2 पर आगमन हेतु डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।

(3) सुनिश्चित करें कि अप गाडी लाइन सं 1, 2 अथवा 3 पर लेते समय गेट सं० 132/सी एवं 133/सी को बन्द एवं लाक कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन 553 एवं 552 को लाक्ड स्थिति में दबा दिये गया है । इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन दिखाई देगा।

इसी प्रकार डाउन गाडी लाइन सं 1, 2 अथवा 3 पर लेते समय गेट सं० 134/सी एवं 133/सी को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें। गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551 एवं 552 को लाक्ड स्थिति में दबा दिये गया है । इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन दिखाई देगा।

(साधा० नि० एवं सहा० नि० 3.40(1)(ख), (3) (क) एवं (4) तथा सहा० नि० 3.40(1) देखें)

6.3.1 **आफ किये गये सिगनल को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व :-**

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4. **गाड़ियों का एक साथ आगमन/क्रासिंग :**

(क) गाड़ियो का एक साथ आगमन/प्रस्थान एवं क्रासिंग निम्न प्रकार किया जा सकता है।

(i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या
अप ट्रेन का लाइन सं० 2 या 3 से प्रस्थान

(ii) अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन या,
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1 या 2 से प्रस्थान

(iii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन या,
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 1 या 2 से प्रस्थान

(iv) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन या,
अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 2 या 3 से प्रस्थान

(ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के ब्रेक वान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है। (सहायक नियम 5.01(14) देखें)

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

6.5. **गाड़ियों का पूर्ण आगमन :**

(क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के पीछे लगे एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है ।

(ख) रुकने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर, इस उद्देश्य हेतु कार्यरत कर्मचारी द्वारा गार्ड के पास पूर्ण आगमन पुस्तिका टी/1410 भेज कर गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लघंन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नही हो जाता है।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

(ग) गाड़ी के पूर्ण आगमन के बाद कॉंटो, सिगनलों तथा समपार फाटकों को उनकी सामान्य स्थिति में वापस कर दिया जायेगा ।

6.6 **गाड़ियों का प्रस्थान** :

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि,

(क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से टोकनलैस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।

(ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश नही जल रहा है।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।

(घ) प्रस्थान सिगनल आफ करने के पूर्व सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी के प्रस्थान कराने से पूर्व इंजीं० गेट सं० 136/सी, 137/सी, 138/सी, 139/सी एवं 140/सी पर कार्यरत गेटमैन को तथा डाउन गाडी प्रस्थान करने से पूर्व गेट सं० 130/सी एवं 131/सी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया है ।

अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 133/सी एवं 134/सी को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द करके गेट नियन्त्रण बटन क्रमशः 552 एवं 551 लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है। ऐसा करने से गेट बन्द एवं लाक होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा। डाउन गाड़ियों के मामले में सुनिश्चित करें कि गेट संख्या 132/सी को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द एवं लाक करके गेट नियंत्रण बटन 553 लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है जिससे गेट संख्या 132/सी के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देगें ।

(ड़) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रुट बटन एक साथ दबायें।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगी।

(ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वांइंट्स के निकट सफेद सूक्ष्म बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आफ आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाडियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।

(झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पंहुचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल ''आन'' हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।

(ट) गाड़ी का पूर्ण रुप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(ठ) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्युज़ होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

6.6.1. **सतर्कता आदेश (काशन आर्डर) जारी करना :**

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रुप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनो पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशो के अन्तर्गत निर्धारित है, चालक एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. **गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना :**

(क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतः मुख्य लाइन सं० 2 से बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। ऐसी स्थिति में अग्रिम प्रस्थान सिगनल का आफ आस्पैक्ट मिलना ही चालक के लिये प्रस्थान प्राधिकार है।

(ख) कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 या 3 से बिना रुके नियमानुसार प्रतिबन्धित गति से सीधे जा सकती है । ऐसी स्थिति में स्टार्टर सिगनल आफ आस्पैक्ट तभी धारण करेगें जब गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर आ जायेगी।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

(ग) स्टेशन से होकर सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर सभी प्रकार की शंटिगं अवश्य बन्द कर दी जाय बराबर लाइनो पर किसी भी वाहन/वैगन जो बिना इंजन के हों या इंजन से अलग हों, वे सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित होने चाहियें।

(घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी क्रू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जानी चाहिये । इस प्रकार के संकेत को स्टेशन कर्मचारी द्वारा ट्रेन क्रू को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झन्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये ।

(विशेष रुप से सहायक नियम 5.01(5) (i) से (vi) देखें)

(ङ) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी । (साधारण नियम 5.01 (14) (iv) देखे)

6.8 <u>विफलता के दौरान कार्य पध्दति</u> :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39 (ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

6.9 **लारियो, ट्रालियो तथा मोटर ट्रालियों के संचलन के लिये विशेष अनुदेश** :

(क) मोटर ट्राली को गाड़ियों कें संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर अवश्य संचालित किया जाये ।

(ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।

(ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर देना चाहिये । गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नही है । साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 देखें ।

7. **लाइन अवरूध्द होना** :

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नही है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लिखेगा।

2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा ।

3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, कार्यमुक्त करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिखा नहीं दिया जाता है, कार्यपर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।

4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जिस लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
जब परिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूध्द की जाय तों, स्टेशन पर खाड़े वाहनों (Stabled Load) के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है।

(i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खाड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहॉ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(एम०पी०सिंह)   (जवाहर राम)

(ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खातरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खातरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खाड़ा करते समय सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

<u>टिप्पणी</u> :

1. बी0ओ0एक्स0, बी0ओ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खाड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जायें :-

(क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।

(खा) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।

(ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।

(घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित किये जाने चाहिये।
साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. **<u>शन्टिग</u> :**
शन्टिग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

8.1. **<u>ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग</u> :** (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

(क) **<u>होम सिगनल के अन्दर शन्टिग</u> :** निम्न शर्तो का पालन करते हुये शन्टिग की अनुमति है :-

i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो।

ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

iii) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिग करने हेतु शंटिंग चाबी तथा लिखित अनुमति टी-806 पर दी जाय ।

(ख) **<u>होम सिगनल के बाहर शन्टिग</u>** : निम्नलिखित शर्तो के साथ शन्टिग की अनुमति है :-

i) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा

ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो।

iii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल के बाहर तक शन्टिग करने हेतु शंटिंग चाबी तथा लिखित अनुमति टी-806 पर दी जाय ।

8.2. **आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिग :** (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) **बाह्यतम सम्मुख काँटों के अन्दर शन्टिंग** :

i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो।

ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

(ख) **अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शन्टिंग**

बाह्यतम सम्मुख काँटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-

i) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों । (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)

ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा

iii) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

(ग) अग्रिम प्रस्थान सिगनल से आगे होम सिगनल तक शंटिंग की अनुमति नही है ।

8.3. **जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिग :** प्रथम रोक सिगनल तक निम्न शर्तो के साथ शन्टिग की अनुमति है :-

i) जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।

ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों । (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)

iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय से बाधित न हो।

iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।

v) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शन्टिग करने हेतु शंटिंग चाबी तथा T-806 पर लिखित अनुमति दी जाय।

8.4.1. **शन्टिग पर प्रतिबन्ध** :

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल "आफ" किये जाने के बाद नान आइसोलेटड लाइनो पर शन्टिंग की अनुमति नही है।

8.4.2. **शन्टिग का कोई विशेष पहलू** :

(क) खुदागंज की ओर शंटिंग के दौरान गेट संख्या 132/सी तथा फतेहगढ़ की ओर शंटिग के दौरान गेट संख्या 133/सी एवं 134/सी को बन्द एवं लाक करना सुनिश्चित किया जाये।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख) **<u>शंटिंग के समय गाड़ी के गार्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होगे</u>** :-

1. सामान्य पर्यवेक्षण ।

2. सही वैगनो/वाहनो को जोड़ना तथा काटना और ठीक से मार्शलिंग कराना ।

3. यह सुनिश्चित करना कि शन्टिंग समाप्त होने के बाद वैगनो/वाहनो की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।

4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शन्टिंग की जा रही है तथा कॉटो की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना । (सहायक नियम 5.14(1) एवं 3.39(ii)

5. शन्टिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना ।

नोट :-(क) सिगनलों के आन तथा आफ आस्पैक्ट स्टेशन मास्टर पैनल पर देखकर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) अप तथा डाउन शंटिंग चाबियॉ स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक अलग-अलग 'ई' प्रकार के ताले और लीवर लाक एसेम्बली में लाक रहती है। इन शंटिंग चाबियों को जिनकी आवश्यकता अग्रिम प्रस्थान सिगनल एवं विपरीत होम सिगनल के मध्य शंटिंग करने के लिये होती है, 'ई' प्रकार के लाक से तभी निकाला जा सकता है जब सम्बन्धित टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र ''लाइन क्लोज़्ड'' अथवा 'ट्रेन गोइंग टू;' स्थिति में हो। रिलीज़ होने पर इन चाबियों को शंटिंग प्राधिकार के रूप में चालक को दिया जाय। विवरण के लिये परिशिष्ट 'ख' देखें।

8.5. **<u>स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग</u>** : कोई नहीं ।

8.6. **<u>बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि हो तो :</u>** कुछ नही ।

9. **<u>सामान्य अनुदेश</u>** :

<u>असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचलन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया</u> :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणो के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा वी०एच०एफ०सैट / बीएसएनएल फोन द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।
(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

<u>टिप्पणी</u> :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।

2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तक यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहॉ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

2(ख) **<u>वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-</u>**

(i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।

(ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैंस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।

(iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।

(iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन कलीयर लिया / दिया जाय।

2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनो की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा । (विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

3. यदि कोई मोटर चालित कॉंटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या कॉंटा विद्र्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी कॉंटें पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त कॉंटों के उपयुक्त संचलन की जॉंच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर उक्त कॉंटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दशाओ के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन कॉंटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा।

4. **<u>क्रैंक हैण्डिल द्वारा कॉटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि</u>** :-
परिशिष्ट ‘ख’ में दिये गये विवरण के अनुसार कार्य किया जायेगा।

5. **<u>कॉलिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाणन</u>** :-

ट्रैक सर्किट/एक्सिल काउन्टर के खराब होने पर कालिंग आन सिगनल ‘आफ’ करने से पूर्व मार्ग तथा रेल पथ की क्लीयरेन्स का सत्यापन कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं करना होगा।

6. **<u>कॉटों ट्रैक सर्किट/एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना</u>** :-
परिशिष्ट ‘ख’ के अनुसार कायवाही की जाय ।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

9.1 **<u>संचार साधनों की पूर्ण विफलता</u>** :

1. <u>संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है</u> :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे –

(क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउन्टर।

(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,

(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।

(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन एवं बी०एस०एन०एल०फोन

(ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,

(च) वी0 एच0 एफ0 सेट

2. **<u>इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन</u>** :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

(क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।

(ख) गाड़ी के इंजन द्वारा ।

(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- <u>संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये</u>।

3 **<u>संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी</u>** -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा । अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा ।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड मे इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को ''आन'' स्थिति मे पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमे प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा ।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमे इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो ।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियो का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियो का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीअर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीअर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी /409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

<u>टिप्पणी</u> :

(क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित (Self propelled) वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख कॉटें के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

(ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियॉ चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीअर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. **<u>सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियॉ</u>** :

(क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(ख) किसी भी तरह से संचार साधर फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीअर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीअर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2 **<u>दोहरी लाइन पर अस्थायी रुप से इकहरी लाइन का संचालन</u>** : कुछ नही।

9.3. **<u>दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायता के लिये बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान</u>** :

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक खण्ड में राहत इंजिन/गाड़ी ले जाने के प्राधिकार टी/ए602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। (सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09(3)(ii) (ii) (1) (2) (3) देखें।

(एम०पी०सिंह)   (जवाहर राम)

9.4. **विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश** :

(क) सिगनलों को लगातार प्रकाशित रखने के लिये स्टेशन पर इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेंगें।

(ख) आई०पी०एस० सिस्टम की मानिटरिंग के लिये स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजिअल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है। आई०पी०एस० सिस्टम की कार्य विधि तथा इस पर प्रदर्शित सूचनाओं के विस्तृत विवरण के लिये सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में दिये अनुदेशों को देखें।

(ज) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचलन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लाग बुक में करेगें। कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न प्रारुप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटो के साथ ही साथ रखेंगे।

प्रारुप

1. **व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन** :

क्र० सं०	तिथि	आई०पी०एस०की चार्जिंग समय	कमर्शियल पावर सप्लाई विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. **डीजल का उपयोग** :

क्रम संख्या	दिनाँक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी :- तत्काल सन्दर्भ के लिये उक्त अनुच्छेदों के सुसंगत साधारण एवं सहायक नियम की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। सन्दर्भित नियम सम्पूर्ण नही है। अतः सभी साधारण एवं सहायक नियम अथवा समय-समय पर प्रशासन द्वारा जारी किये गये परिपत्र / अनुदेश/निर्देश का भी कड़ाई से पालन किया जाय।

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

10. **दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :**

(क) **अप छोर :**

दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस - 7 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(ख) **डाउन छोर :**

दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस- 6 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर** : परिशिष्ट "ङ" देखें ।

12. **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम** :

कोहरे के मौसम में फाग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची, उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर रखी फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13. **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :** परिशिष्ट "घ" देखें ।

14. **परिशिष्टों की सूची :**

परिशिष्ट "क"	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट "ख"	संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति
परिशिष्ट "ग":	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कचच)
परिशिष्ट "घ":	गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट "ङ":	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट "च":	डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिगों के संचालन नियम
परिशिष्ट "छ":	विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : **इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।**

(एम०पी०सिंह) (जवाहर राम)

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

" कुछ नहीं "

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रुपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्‌व्यवहार बनाये रखें। **उसकी डियूटी में यह भी शामिल है**

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
3. कर्मचारियों को अपने कार्यो से सम्बन्धित सभी नियमों की भलीभॉति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको,डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
6. यार्ड और यार्ड उपकरणो का आवधिक निरीक्षण।
7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लघंन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।

(ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।

(ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यो के लिये पूर्ण रुप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रुप से करेगें।

(घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कॉंटों की विफलता में सहायक नियम 3.39(ii) का अनुपालन करते हुए इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेगें। **उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-**

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं कन्ट्रोल टेलीफोन पर व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहना।
4. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।
5. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
6. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
7. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
8. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
9. कर्मचारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण।
10. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नही हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें। सहायक नियम 3.39(ii) देखें।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यो के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशो का पालन करना है।

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन /प्रस्थान एवं शंटिग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगें :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिंगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉंटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. सिगनल अथवा कॉटों की विफलता के समय सिगनल के नीचे से प्रोसीड सिगनल देना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों को पायलट करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्‌टी और धूल आदि से साफ रखना।
11. **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-**

i) सिगनल, कॉटों, क्रासिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।

ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।

12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

<u>टिप्पणी</u> :- जो कॉटें, कॉटेवालें द्वारा प्रचालित होते है, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्‌टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. **<u>गाड़ी सपरिचालन कर्तव्यो के अन्तर्गत गेट मैन के कर्तव्य</u> :-**

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(जवाहर राम)

संचालन निमय सं० इज्जत/12 कमालगंज

परिशिष्टि "ड़"

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रुप से रहेगें।

1.	हाथ सिगनल बत्ती	– 06 बैट्री आपरेटेड – 06 के० आयल (गेट सं० 132, 133, 134 /सी)
2.	हाथ सिगनल झण्डी	– 04 हरी तथा 06 लाल
3.	पटाखा सिगनल	– 50
4.	सुरक्षा जंजीरे	– 04 तालो सहित
5.	क्लैम्प	– 06 तालो सहित
6.	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	- 01
7.	फायर बकेट	- 06
8.	अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप	- 01

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

" कुछ नहीं "

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

" कुछ नहीं "

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर